



क्रमांक 315 / बै.प्र. / सभा / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 01-01-2025

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 293 / सभा / बै.प्र. / 2022 बिलासपुर दिनांक 11.05.2022 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 10(5) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की सभा में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. **10(5)(ii)(11)** "चार आचार्य, जो विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष न हों, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा"
 1. प्रो० मनीषा दुबे, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग
के स्थान पर
प्रो० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य, अंग्रेजी विभाग
2. **10(5)(ii)(12)** विभागों के तीन विभागाध्यक्ष, जो संकायाध्यक्ष या आचार्य नहीं हैं, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
 1. डॉ० रोहित राजा, सह-आचार्य, इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी विभाग
के स्थान पर
डॉ० मुंशीराम, सह-आचार्य, वाणिज्य विभाग
 2. डॉ० सीमा पाण्डेय, सह-आचार्य, इतिहास विभाग
के स्थान पर
डॉ० रत्नेश प्रसाद श्रीवास्तव, सह-आचार्य, सी.एस.आई.टी. विभाग
 3. डॉ० गौरी त्रिपाठी, सह-आचार्य, हिन्दी विभाग
के स्थान पर
डॉ० सस्मिता पटेल, सह-आचार्य, समाज कार्य विभाग
3. **10(5)(ii)(16)** कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्टों को छोड़कर कार्यपरिषद के ऐसे सदस्य, जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सभा के सदस्य नहीं हैं।
 1. डॉ० राघवेंद्र सिंह ठाकुर, सह-आचार्य, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग
के स्थान पर
डॉ० सुभाष बनर्जी, सह-आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा विश्वविद्यालय सभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक : 01-01-2025

पृ० क्रमांक 316 / बै.प्र. / सभा / 2025
प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. सभा के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव (कार्यवाहक)